न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील सं. 186/2025
जीसीएमएस सं. 2025/500

अपीलांट्सः–

1. श्रीमती कबु देवी पुत्री भानाराम पत्नी बालाराम
2. भानाराम पुत्र भूराराम
3. बाबुराम पुत्र भानाराम

जाति जाट निवासी ग्राम बडलिया, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोंडेंटः–

तहसीलदार, झंवर, जिला जोधपुर।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम बविरूद्ध आदेश नामांतरकरण सं. 176 को तहसीलदार झंवर द्वारा दिनांक 09.09.2025 को खारिज किया गया।

उपस्थितिः–

अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी (अपीलांट्स की ओर से)

निर्णय **दिनांक 26.02.2026**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार, झंवर द्वारा ग्राम करणीनगर, प.मं: बडलिया के नामांतरकरण सं. 176 पर पारित आदेश दिनांक 09.09.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 08.10.2025 को प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी तहसीलदार झंवर को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकॉर्ड तलब किया गया। तहसीलदार, झंवर को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया नोटिस दिनांक 19.01.2026 को डिलीवर हो गया है, पोस्ट ट्रेकिंग रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है, परंतु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण, उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

3. अपील मीमों में अंकित अभिवचनों अनुसार, प्रकरण के संक्षिप्त एवं सारवान तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम करणीनगर का ख.नं. 28 रकबा 23–12 बीघा, ख.नं. 33 रकबा 39–17 बीघा भूमि में भानाराम का 1/2 हिस्सा की भूमि जरिये बक्शीशनामा अपीलांट सं. 3 बाबुराम के हक में दिनांक 21.04.2014 को निष्पादित कर दिया, जिस पर नामांतरकरण सं. 18 दिनांक 06.06.2014 को दर्ज किया गया। अपीलांट कबुदेवी ने उक्त पंजीकृत बक्शीशनामा को निरस्त करवाने हेतु एक वाद सं. 72/2024, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश जोधपुर महानगर में दायर किया। इस वाद में दोनो पक्षों के मध्य आपसी सहमति होने पर बक्शीशनामा को डिक्री दिनांक 22.11.2024 से निरस्त कर दिया, जिसका नोट भी उप पंजीयक झंवर ने कार्यालय प्रति पर दिनांक 18.01.2025 को अंकित कर दिया। तहसीलदार, झंवर ने डिक्री दिनांक 22.11.2024 के आधार पर मूल स्थिति बहाल करने हेतु नामांतरकरण सं. 176 दिनांक 08.09.2025 को स्वीकार कर दिया तथा पूर्व स्थिति बहाल कर दी, परंतु दिनांक 09.09.2025 को ही तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 08.09.2025 को रिव्यु करके, नामांतरकरण सं. 176 खारिज कर दिया।

अपीलांट्स का कथन है कि जिस बक्शीशनामा के आधार पर नामांतरकरण सं. 18 दिनांक 06.06.2014 को स्वीकार किया गया था, उस रजिस्टर्ड बक्शीशनामा को न्यायालय ने खारिज कर दिया। अतः बक्शीशनामा के आधार पर पारित नामांतरकरण सं. 18 दिनांक 06.06.2014 स्वतः ही निरस्त हो गया। तहसीलदार को रिव्यु करने का अधिकार ही नहीं है। अतः सिविल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री की पालना में दर्ज नामांतरकरण सं. 176 पर पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2025 को बहाल किया जावे।

4. अपील पर अपीलांट अधिवक्ता की बहस सुनी गई।
5. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री रूघाराम चौधरी ने अपील मीमों में अंकित अभिवचनों को दोहराते हुए अपील स्वीकार करने का कथन किया।
6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का ध्यानपूर्वक गहनता से अध्ययन किया। अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत कथनों एवं तर्कों पर मनन किया।
7. (a)पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखानुसार, ग्राम करणीनगर, प.मं. बडलिया तहसील झंवर का ख.नं. 28, 33 की 63–09 बीघा भूमि भानाराम पुत्र भूराराम, हडमानराम, जेठाराम

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

पिता खेताराम के नाम दर्ज थी। ख.नं. 28 व 33 में से भानाराम ने अपना पूर्ण हिस्सा जरिये बक्शीशनामा दिनांक 21.04.2014 अपने पुत्र बाबुराम को हस्तांतरित कर दिया।

उक्त बक्शीशनामा के आधार पर ख.नं. 28 व 33 में भानाराम की जगह बाबूराम का नाम नामांतरकरण सं. 18 से दर्ज कर दिया गया।

(b)अपीलांट कबूदेवी ने उक्त बक्शीशनामा दिनांक 21.04.2014 को निरस्त करने हेतु एक वाद न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, जोधपुर महानगर में दीवानी मूल वाद सं. 72/2024 दायर किया। उक्त वाद में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2024 से, उक्त आक्षेपित बक्शीशनामा को निरस्त कर दिया।

(c)न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 22.11.2024 के आधार पर अपीलांट ने ख.नं. 28 व 33 की भूमि पूर्वानुसार दर्ज करने का प्रार्थना पत्र तहसीलदार झंवर को पेश किया, जिस पर ग्राम करणीनगर का नामांतरकरण सं. 176 दिनांक 30.08.2025 पटवारी द्वारा दर्ज किया गया तथा बाबूराम की जगह भानाराम पुत्र भूराराम का नाम ख.नं. 28 व 33 की भूमि बाबत दर्ज किया गया तथा मुताबिक न्यायालय आदेश के अनुसार नामांतरकरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ पेश है—लक्ष्मण सिंह, पटवारी बडलिया, जिसे तहसीलदार झंवर ने दिनांक 08.09.2025 को पारित किया।

(d)दिनांक 09.09.2025 को पटवारी बडलिया ने एक रिपोर्ट तहसीलदार झंवर को पेश कर कथन किया कि नामांतरकरण सं. 176 दिनांक 08.09.2025 को स्वीकृत हो गया। यह भी लिखा है कि मूल बक्शीशनामा को सिविल कोर्ट द्वारा निरस्त करके उसे शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किया है। बक्शीशनामा पर उप पंजीयक द्वारा निरस्त का नोट दिनांक 18.01.2025 को अंकित किया है, इसलिए फैसले के आधार पर नामांतरकरण सं. 176 दर्ज किया गया जबकि पूर्व में दर्ज नामांतरकरण को न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया तथा न ही पक्षकारों ने नामांतरकरण को खारिज करने का वाद दायर किया है। अतः माननीय न्यायालयों द्वारा पूर्व में बक्शीशनामा के आधार पर दर्ज नामांतरकरण को खारिज करने के उपरांत ही वाद सं. 72/2024 के निर्णय दिनांक 22.11.2024 की पालना किया जाना सुनिश्चित होगी। अतः नामांतरकरण सं. 176 को रिव्यु करने की कृपा करावे।

(e)पटवारी के उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर तहसीलदार झंवर ने आदेश कमांक भू.अ./2025/1666 दिनांक 09.09.2025 पारित किया तथा सर्वप्रथम तर्क दिया है कि नामांतरकरण सं. 176 को निर्णित करते समय स्वीकृत या अस्वीकृत की टिप्पणी के

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

चयन में भूलवश स्वीकृत चयन होने से नामांतरकरण स्वीकृत हो गया। आदेश में आगे लिखा है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार पूर्व में उक्त निरस्त बक्शीशनामा के आधार पर नामांतरकरण का अमलदरामद हो चुका है, जिसे आदिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया गया है। अतः भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के तहत उक्त नामांतरकरण को रिव्यु किया जाकर मूल स्थिति (मूल नामांतरकरण सं. 176 से पूर्व) की स्थिति बहाल की जाती है।

(f)तंहसीलदार झंवर द्वारा पारित रिव्यु आदेश, भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के प्रावधानों के विपरीत है। धारा 86 की उप धारा (3) के प्रावधान इस प्रकार है–

86(3) An application for review under this section shall lie on any of the grounds mentioned in rule 1 of order XLVII of the First Schedule to the Code of Civil Procedure, 1908 and the provisions of the said order shall subject to the provisions contained in sub section (1) or sub section (2) be applicable.

उक्त प्रावधानानुसार 86 के अंतर्गत रिव्यु सीपीसी के आदेश 47 नियम 1 के अंतर्गत वर्णित आधारों पर ही होगा।

सीपीसी का आदेश 47 नियम 1 के अंतर्गत रिव्यु केवल नई एवं महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलने से, जो सम्यक तत्परता के प्रयोग के पश्चात्, उस समय जब आदेश पारित किया गया था, उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा पेश नहीं किया जा सकता था या किसी भूल या गलती के कारण जो अभिलेख देखने से ही प्रकट होती हो या किसी अन्य पर्याप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरूद्ध पारित आदेश का पुनर्विलोकन किया जाए, वह उस न्यायालय में आवेदन पेश कर सकता है, जिसने वह आदेश पारित किया था।

धारा 86(2) का (i) परंतुक इस प्रकार हैः–

(i)कोई भी आज्ञा उस समय तक परिवर्तित की या उलटी नहीं जाएगी जब तक कि उसमें हित रखने वाले पक्षकारों को उपस्थित होने का नोटिस न दिया गया हो और ऐसी आज्ञा के समर्थन में उनकी सुनवाई न कर ली गई है।

इसी प्रकार राजस्थान भू राजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 का नियम 128, न्यायालय की आज्ञाओं से नामांतरकरण दर्ज करने का प्रावधान करता है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

(g)उक्त विधिक प्रावधानों की रोशनी में विद्वान तहसीलदार द्वारा पारित अपीलाधीन रिव्यु आदेश दिनांक 09.09.2025 का परीक्षण किया जाना है।

8. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख अनुसार, ग्राम करणीनगर के ख.नं. 28 रकबा 23–12 बीघा एवं ख.नं. 33 रकबा 39–17 बीघा भूमि में से खातेदार भानाराम ने अपने हिस्से की भूमि का एक बक्शीशनामा अपने पुत्र बाबूराम के पक्ष में दस्तावेज सं. 1110 दिनांक 21.04.2014 को निष्पादित करके उप पंजीयक झंवर के कार्यालय में पंजीबद्ध करवाया। उक्त बक्शीशनामा के आधार पर भानाराम की जगह, बाबूराम का नाम राजस्व अभिलेखों में नामांतरकरण सं. 18 दिनांक 06.06.2014 से दर्ज हो चुका था।

अपीलांट कबू देवी ने उक्त बक्शीशनामा को निरस्त करने हेतु एक सिविल वाद सं. 72/2024 न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, जोधपुर महानगर में पेश किया, जिसमें निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2024 से उक्त बक्शीशनामा दस्तावेज निरस्त कर दिया गया। न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 22.11.2024 की पालना में, अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 176 दिनांक 30.08.2025 पटवारी बडलिया ने दर्ज किया तथा तहसीलदार झंवर ने दिनांक 08.09.2025 को स्वीकृत किया। इस प्रकार पटवारी बडलिया को नामांतरकरण सं. 176 दिनांक 30.08.2025 को न्यायालय के आदेश की पालना में खोलते समय यह पूरी जानकारी थी कि निरस्त किये गये बक्शीशनामा के आधार पर नामांतरकरण पूर्व में ही स्वीकृत हो चुका है तथा रिकॉर्ड में लाभार्थी बाबूराम पुत्र भानाराम का नाम दर्ज है। नामांतरकण दिनांक 08.09.2025 को स्वीकृत करना, तहसीलदार स्वयं अपने रिव्यु आदेश दिनांक 09.09.2025 में स्वीकार करते है। अब अगले ही दिन पटवारी ने रिपोर्ट पेश की कि जब तक बक्शीशनामा के आधार पर पूर्व में स्वीकृत नामांतरकरण को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक सिविल न्यायालय द्वारा दावा सं. 72/2024 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2024 की पालना संभव नहीं है तथा तहसीलदार ने भी पटवारी की रिपोर्ट से सहमत होकर अपीलाधीन आदेश दिंनाक 09.09.2025 पारित करके, पूर्व में पारित आदेश दिनांक 08.09.2025 को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 86 के तहत अपास्त कर दिया, जो कतई विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि धारा 86(3) के प्रावधानों अनुसार, रिव्यु सिर्फ सीपीसी के आदेश 47 नियम 1 में वर्णित आधारों पर ही किया जा सकता है। जिन आधारों पर रिव्यु आदेश पारित किया है, वे आधार पूर्व में रिकॉर्ड पर उपलब्ध थे तथा कोई नया तथ्य ध्यान में नहीं लाया गया तथा न ही इसे रिकॉर्ड पर स्पष्ट रूप से दिखने वाली त्रुटि कहा जा सकता है। तहसीलदार ने अपने आदेश में दो

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

विरोधाभासी बाते लिखी है। प्रथमतः दिनांक 08.09.2025 को नामांतरकरण सं. 176 पर आदेश पारित करते समय भूल से स्वीकृत का विकल्प टिक कर दिया गया तथा दूसरा आधार पटवारी रिपोर्ट अनुसार बक्शीशनामा के आधार पर पूर्व में ही नामांतरकरण स्वीकृत हो चुका था तथा रिकॉर्ड में अमलदरामद हो चुका था। अतः सिविल कोर्ट के आदेश दिनांक 22.11.2024 की पालना संभव नहीं है। उक्त दोनों कथन एक दूसरे के विरोधाभाषी है। बक्शीशनामा के आधार पर नामांतरकरण सं. 18 दिनांक 06.06.2014 को ही स्वीकृत हो चुका था। नई बात क्या थी? अतः आदेश दिनांक 08.09.2025 को रिव्यु करने का कोई विधि सम्मत आधार नहीं था तथा अपीलाधीन आदेश विधि प्रावधानों के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

9. इसके अतिरिक्त धारा 86(2) के प्रथम परंतुक अनुसार रिव्यु से पहले सभी प्रभावित पक्षकारों को नोटिस देकर, उन्हे सुनवाई का पर्याप्त अवसर देना आज्ञापक है, परंतु विद्वान तहसीलदार ने अपने आदेश में धारा 86 का हवाला देने के बावजूद भी उक्त प्रावधान की अनेदेखी की है, जो पद का दुरूपयोग करने व मनमाना आदेश पारित करने की तारीफ में आता है तथा अपीलाधीन आदेश इसी कारण से भी अपास्त योग्य है। इसे अज्ञानता नहीं माना जा सकता। कानून की जानकारी होने के बावजूद कानून का उल्लंघन किया गया है।

10. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि नामांतरकरण की कार्यवाही मात्र एक सरसरी व समरी प्रकृति की, फिस्कल प्रोसिडिंग मात्र है, जिसके जरिए मात्र अभिलेख को अद्यतन किया जाता है। नामान्तरकरण के माध्यम से किसी भी प्रकार के अधिकारों/हको, हितों, स्वत्वों इत्यादि का निर्धारण नहीं किया जा सकता। उक्त प्रकार के अधिकारों का निर्धारण केवल मात्र सक्षम न्यायालय द्वारा नियमित वाद के माध्यम से ही किया जा सकता है।

11. हस्तगत विवाद में रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 21.04.2014 के माध्यम से ख.नं. 28 व 33 में भानाराम की जगह बाबूराम का नाम नामान्तरकरण सं. 18 दिनांक 06.06.2014 को दर्ज किया गया। उक्त बक्शीशनामा को सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा मूल सिविल वाद सं. 72/2024 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.11.2024 से निरस्त करके, उसे शून्य व निष्प्रभावी घोषित कर दिया अर्थात् जिस रजिस्टर्ड बक्शीशनामा दिनांक 21.04.2014 के आधार पर नामान्तरकरण सं. 18 दिनांक 06.06.2014 को दर्ज किया था, वह आधार दस्तावेज ही शून्य व निष्प्रभावी हो गया। ऐसी सूरत में नामान्तरकरण सं. 18 पर पारित आदेश दिनांक 06.06.2014 भी स्वतः निरस्त हो गए। उसे अब न्यायालय

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

में अपील करके निरस्त क़रवाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है तथा न ही कानून में ऐसा कोई प्रावधान है तथा न ही पटवारी व तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट व आदेश में ऐसे किसी कानूनी प्रावधान का उल्लेख किया है। अगर ऐसा प्रावधान उनके संज्ञान में था, तो अपीलाधीन नामान्तरकरण सं 176 दिनांक 30.08.2025 को दर्ज ही क्यों किया?

राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम–128 में न्यायालय की आज्ञा व डिक्री के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का प्रावधान करता है तथा न्यायालय के आदेश की पालना करना सम्बधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कर्तव्य है। ऐसी स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 176, विधि प्रावधानानुसार सही दर्ज किया था तथा तहसीलदार द्वारा दिनांक 08.09.2025 को उसे नियमानुसार स्वीकृत किया था।

12. पूर्व नामान्तरकरण सं 18 पर पारित प्रशासनिक निर्णय दिनांक 06.06.2014, माननीय सिविल कोर्ट द्वारा मूल सिविल वाद सं. 72/2024 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2024 से उपर नहीं है। नामान्तरकरण सं 18 पर पारित आदेश दिनांक 06.06.2014 जिस आधार पर पारित किया गया था, वह बक्शीशनामा ही शून्य निष्प्रभावी घोषित कर दिया गया है, तो नामान्तरकरण सं 18 पर पारित आदेश दिनांक 06.06.2014 प्रभाव में कैसे रह सकता है?

नामान्तरकरण सं. 18 पर पारित आदेश दिनांक 06.06.2014 पर लॉ आफ मर्जर का सिद्धान्त लागू होता है। विलय का सिद्धान्त यह मानता है कि एक बार, जब उच्चतर न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में निर्णय ले लिया जाता है तो निचली अदालत का निर्णय, कानून की नजर में अस्तित्वहीन हो जाता है क्योकि वह अपीलीय अदालत के निर्णय मे विलीन हो जाता है। यह सिद्धान्त न्यायिक कार्यवाही में अंतिमता सुनिश्चित करता है और एक ही मुद्दे पर मुकदमे बाजी के कई दौर को रोकता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में लॉ आफ मर्जर का सिद्धान्त लागू होता है क्योंकि जिस आक्षेपित बक्शीशनामा दिनांक 21.04.2014 के आधार पर नामान्तरकरण सं 18 दिनांक 06.06.2014 को दर्ज किया गया था, वह दस्तावेज ही शून्य व निष्प्रभावी सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया जा चुका है।

एक क्षण के लिए अगर नामान्तरकरण सं 18 दिनांक 06.06.2014 की अपील की जाती है तथा किसी कारणवश वह अपील खारिज हो जाती है तो क्या नामान्तरकरण सं. 18 से किए गए इन्द्राज विधि अनुसार अस्तित्व में रह पायेगें, जबकि उसका आधार दस्तावेज बक्शीशनामा का शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जा चुका है, जबकि यह

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सुस्थापित विधि है कि नामान्तरकरण से हक, टाइटल, अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है।

इस संबध में माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित निर्णय नेनूदेवी बनाम इन्द्राराम व अन्य (2025(1)RRT 635) में प्रतिपादित सिद्धान्त अवलोकनीय है।

13. उपरोक्तानुसार विवेचन एवं विश्लेषण अनुसार, अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2025 अपास्त योग्य है तथा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है। यह अपील सभी प्रभावित पक्षकारों द्वारा पेश की गई है।

आदेश

14. परिणामतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार झंवर द्वारा ग्राम करणी नगर, पटवार मंडल बडलिया, तहसील झंवर के नामान्तरकरण सं 176 के संन्दर्भ में पारित रिव्यु कार्यालय आदेश क्रंमाक भू.अ./2025/1666 दिनांक 09.09.2025 को अपास्त किया जाता है एवं नामान्तरकरण सं 176 पर पारित आदेश दिनांक 08.09.2025 को यथावत रखा जाता है। माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, जोधपुर महानगर जोधपुर द्वारा दीवानी मूल वाद सं. 72/2024 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.11.2024 के द्वारा उपपंजीयक झंवर के कार्यालय में दिनांक 21.04.2014 को पुस्तक सं । जिल्द सं 142 पृष्ठ सं 118 क्रम सं 1110 पर पंजीबद्ध बक्शीशनामा को शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित करने के कारण, आक्षेपित बक्शीशनामा से प्रभावित भूमि, दिनांक 21.04.2014 से पूर्व स्थिति अनुसार यथावत दर्ज रखी जावे।

15. निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख तहसीलदार झंवर को पुनः लौटाया जावे।

16. पत्रावली बाद तामिल एवं तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

17. प्रकरण में लम्बित समस्त प्रार्थना पत्र निस्तारित किये जाते है।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

यह निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम),
जोधपुर